CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 29 ▫ अंक- 81 ▫ रायपुर, बुधवार 15 अप्रैल 2026 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

वेदांता पॉवर प्लांट हादसे में मरने वालों की संख्या 16 पहुंची

घटना में प्रभावित लोगों के लिए प्रबंधन ने मुआवजे का ऐलान किया है

सक्ती, 15 अप्रैल (हाईवे चैनल)। सक्ती जिले के डभरा इलाके में स्थित सिंघीतराई में मौजूद वेदांता पावर प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या जो कल शाम तक दस थी,अब 16 पहुँच चुकी है।कल देर रात तक रायगढ़ में तीन और रायपुर में दो मज़दूरों की मौत हुई है।जबकि प्लांट से एक और शव बरामद हुआ है।हादसे का शिकार हुए सभी लोग ठेका श्रमिक थे जिनकी नियोक्ता चार ठेका कंपनी है। इस हादसे की दंडाधिकारी जांच के आदेश कलेक्टर सक्ती ने जारी किए हैं। यह जांच एसडीएम डभरा करेंगे।वहीं देर शाम स्ठक्रत्र की टीम पहुंच गई है,जो प्लांट के भीतर सघन जांच कर रही है।

घटना स्थल पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने द हिट से चर्चा में यह बताया है कि घटना ढाई बजे तब हुई जबकि लंच ब्रेक था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि, प्लांट का बायलर नहीं फटा है बल्कि बायलर और टर्बाइन को जोड़ने वाला पाइप फटा है।तकनीकी रुप से यह प्लांट के बॉयलर यूनिट वन में बॉयलर के स्टीम पाइप के वाटर सप्लाई पाइप का ज्वाइंट है जो कि फट गया। इस इंक्लाइन पाइप में बेहद ही ज्यादा तापमान होता है। यह पाईप प्लांट के भीतर मैदानी क्षेत्र में फटी। इस दुर्घटना स्थल पर वे श्रमिक चपेट में आए जो कि उस जगह या तो बैठे हुए थे या कि लंच कर रहे थे। प्लांट के भीतर दुर्घटना स्थल पर कुल 34 मज़दूर प्रभावित हुए है,फैक्ट्री के भीतर पहले तीन शव मिले,देर शाम एक और शव मिला,जबकि तड़के एक और शव प्लांट के भीतर मिला।।घायलों में से 1 की मौत उपचार के दौरान खरसिया में जबकि 8 की मौत रायगढ़ में हुई है। दो अन्य की मौत रायपुर में हुई है।शेष का उपचार जारी है,इन सभी की हालत गंभीर बताई गई है।सभी मज़दूर बुरी तरह झुलस चुके हैं। वेदांता प्रबंधन ने हादसे को लेकर मुआवजे का एलान किया है।प्रबंधन ने मृतकों के परिजनों को 35 लाख और घायलों को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।इसके साथ-साथ प्रबंधन ने मृतकों के आश्रितों को योग्यतानुसार रोज़गार प्रदान करने और सभी घायलों का नि:शुल्क उपचार करने का भी निर्णय लिया है।

मामले की दंडाधिकारी जांच के आदेश

बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने सम्राट जदयू से विजय चौधरी-बिजेंद्र यादव ने भी ली शपथ

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (न्यूज चैनल)। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री दे चुकी। राष्ट्रीय जनता दल से होकर जनता दल यूनाइटेड के रास्ते 2017 में भाजपा में आए पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी को बिहार का 24वां मुख्यमंत्री चुना गया है। पहले भाजपा फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट के नाम पर मुहर लगी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें मखाना की माला पहनाकर अपनी विरासत सौंपी। आज सुबह 10-50 बजे लोकभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव को भी शपथ दिलाई गई। दोनों जदयू कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, शिवराज सिंह, पूर्व सीएम नीतीश कुमार, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता, एनडीए से सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

2020 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो भाजपा ने दो डिप्टी सीएम दिए। इसमें रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को मौका मिला। इसके बाद दो बार फिर एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। इन दोनों बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया। अब चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका है, तो जदयू से दो डिप्टी सीएम होंगे। पहले चर्चा थी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे।

ब्रेकिंग न्यूज

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका; अग्रिम जमानत पर लगी रोक, तीन हफ्ते में देना होगा जवाब

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई एक हफ्ते की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। यह मामला असम में दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरीऔर अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने इस मामले में खेड़ा को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह नोटिस असम सरकार की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट बेल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिलहाल संबंधित आदेश (ट्रांजिट बेल) पर रोक लगाई जाती है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर खेड़ा असम की संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगा।

बिरादरी की बातें

चूहा- अंततः बिहार में भी भाजपा का मुख्यमंत्री हो ही गया।

चुहिया- हां जी, मोदी है तो मुमकिन है..!

सीतापुर विधायक के जाति प्रमाण का मामला, हाई कोर्ट ने 90 दिनों में जांच पूरी करने के दिए आदेश

अंबिकापुर, 15 अप्रैल (हाईवे चैनल)। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर चल रहे विवाद पर जनजाति सुरक्षा मंच के जिला संयोजक बिहारी लाल तिर्की ने प्रेसवार्ता आयोजित कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि विधायक के जाति प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ से ही संदिग्ध रही है, जिसकी सूचना मिलते ही उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों का संकलन किया गया। दस्तावेजों के अवलोकन में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इस दौरान बताया गया कि उक्त जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, लैलूंगा कार्यालय से 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। इसके खिलाफ 21 अक्टूबर 2023 को जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति, रायगढ़ के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई। उसी दौरान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण त्वरित कार्रवाई हेतु प्रकरण को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 4587/2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

उच्च न्यायालय ने मामले को जिला स्तरीय समिति को विधि अनुसार जांच के निर्देश दिए, लेकिन लगभग दो वर्षों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर पुन: रिट याचिका क्रमांक 1466/2026 दायर की गई। इस याचिका में अधिवक्ता अनुराग सिंह ने पक्ष रखा, जिस पर न्यायालय ने 2 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए समिति को 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए। प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे हैं, जिन्हें अभी सार्वजनिक करना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस नेता के घर पुलिस की रेड, मस्तूरी गोलीकांड में चल रहा फरार

बिलासपुर, 15 अप्रैल (हाईवे चैनल)। मस्तूरी में गोलीकांड के फरार आरोपियों के घर पुलिस ने आधी रात दबिश दी। इस दौरान कांग्रेस नेता और इनामी आरोपी नागेंद्र राय के परिजन पुलिस को रोकते हुए बहसबाजी करने लगे। हालांकि, इसके बाद भी पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। डॉग स्क्रायड और हथियारबंद जवानों ने पूरे घर की तलाशी ली। लेकिन, नागेंद्र राय नहीं मिला। पुलिस अफसर और जवानों की टीम रात करीब एक बजे तोरवा क्षेत्र के लालखदान-महमंद पहुंची। जहां कांग्रेस नेता नागेंद्र राय के घर की तलाश ली।

इस दौरन जवानों ने उसके घर के हर एक कमरों की जांच की। लेकिन, उसकी मौजूदगी का कोई सुराह हाथ नहीं लगा। तलाशी के दौरान डॉग स्क्रायड की टीम भी मौजूद रही। वहीं, सशस्त्र जवान भी थे। करीब ढाई घंटे तक चली इस कार्रवाई के बावजूद आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका। सर्च ऑपरेशन के दौरान नागेंद्र राय के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। बेटे, भतीजे सहित अन्य सदस्यों ने बहसबाजी करते हुए कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश भी की। आधी रात छापेमारी करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके चलते पुलिस को तलाशी अभियान में परेशानी हुई। इस स्थिति को देखते हुए तोरवा पुलिस ने परिजनों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज भी किया है। इस मामले में एसएसपी रजनेश सिंह ने फरार आरोपी नागेंद्र राय और टाकेश्वर पाटले पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश कर रही है। उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड भगवंत मान ने कसा तंज-टिपिकल मोदी स्टाइल

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (न्यूज चैनल)। पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने दबिश दी है। बुधवार सुबह ईडी की टीमों ने जालंधर और फगवाड़ा में उनके घर, संस्थानों और कारोबारी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में दिल्ली से आई ईडी टीमों ने कई स्थानों को घेर लिया। मित्तल के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि अंदर अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है। ईडी की टीमें एलपीयू समेत लवली ग्रुप से जुड़े कई प्रतिष्ठानों तक पहुंची है। जानकारी के अनुसार लवली ऑटोज, लवली स्वीट्स और लवली डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर भी जांच के दायरे में हैं। इतना ही नहीं, मित्तल परिवार से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर भी छानबीन की जा रही है। उनके परिजनों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमें दस्तावेज खंगाल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में की जा रही है। ईडी अधिकारियों की नजर खासतौर पर वित्तीय लेन-देन और विदेशी फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों पर है।

गौरतलब है कि आप ने हाल ही में सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटाकर यह जिम्मेदारी अशोक मित्तल को सौंपी थी। इस फैसले के महज कुछ दिनों बाद ईडी की यह कार्रवाई कई राजनीतिक मायनों में भी अहम मानी जा रही है। इस रेड पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर तंज कसा। सीएम ने लिखा-भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरूज्ञ आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड..टिपिकल मोदी स्टाइल.. हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे।

नारी शक्ति एक्ट पर पहली महिला राष्ट्रपति का समर्थन, प्रतिभा पाटिल बोलीं- पीएम मोदी का प्रयास सराहनीय

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (न्यूज चैनल)। भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कानून विधायी निकायों में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके संवैधानिक ढांचे को मजबूत करेगा। पत्र में लिखा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक कार्यान्वयन की पहल के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन विधायी निकायों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी को सुनिश्चित करके भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।

एटीएम मशीन तोड़कर रातों-रात अमीर बनने का प्लान फेल, आरोपी गिरफ्तार

खैरागढ़, 15 अप्रैल (हाईवे चैनल)। फिल्मी अंदाज़ में एटीएम मशीन तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने वाला आरोपी हकीकत की जमीन पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया. 'रातों-रात अमीर बनने' का उसका प्लान कुछ ही घंटों में पुलिस की कार्रवाई के सामने धराशायी हो गया. 14 अप्रैल को उदयपुर स्थित ज्ञरू में तोड़फोड़ की घटना सामने आई. मशीन की देखरेख करने वाले कर्मचारी ने जब ज्ञरूबंद देखा तो अंदर का मंजर चौंकाने वाला था. मशीन के साथ लॉबी में छेड़छाड़ और तोड़ फोड़ हुई थी, साफ था कि किसी ने पूरी तैयारी के साथ 'कैश लूटने' की कोशिश की, लेकिन तकनीक और सुरक्षा के आगे उसकी चाल नहीं चल पाई. मामले की सूचना मिलते ही छुईखदान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए अपराध दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों जैसे आसपास की गतिविधियों, संदिग्ध मूवमेंट और मुखबिर नेटवर्क का सहारा लिया. इसी दौरान एक अहम सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुलिस को देखकर असामान्य तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है. बस फिर क्या था, पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में आरोपी चंपालाल जंघेल (40 वर्ष), निवासी ग्राम उदयपुर ने ज्ञरू में तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करना स्वीकार कर लिया. उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए गए हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर कानूनी टकराव: अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री नियमों पर फंसा पेंच, तेल आपूर्ति संकट कायम

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (न्यूज चैनल)। वैश्विक तेल आपूर्ति के 20 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरे कानूनी विवादों में भी उलझा हुआ है। दोनों देश इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के संचालन के लिए अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में माल ढुलाई और कच्चे तेल के व्यापार पर अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। समुद्री कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और ईरान दोनों ही लॉ ऑफ द सी (समुद्री कानून) के मामले में दो अलग-अलग वैचारिक दुनिया में जी रहे हैं। वाशिंगटन होर्मुज को पूरी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानता है, जबकि तेहरान इसे अपने क्षेत्रीय जल का हिस्सा मानता है। इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से ईरान द्वारा टोल वसूलने को अमेरिका अवैध मानता है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई नाकेबंदी को ईरान अपनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बता रहा है।

विवाद की मुख्य जड़ 1982 में तैयार और 1994 में लागू हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के लिए सुचारू नियम तय करना था। दिलचस्प बात यह है कि 171 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा इस संधि को लागू किए जाने के बावजूद, अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अब तक इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया है। इसके चलते युद्ध के इस मौजूदा माहौल में दोनों देशों के बीच ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं है जिसके आधार पर विवाद को सुलझाया जा सके। ईरान पुराने अंतरराष्ट्रीय मानकों (जैसे 1958 टेरिटोरियल सीज कन्वेंशन) का हवाला देते हुए विदेशी जहाजों को केवल इनोसेंट पैसेज (शांतिपूर्ण मार्ग) का अधिकार देता है। इसके तहत विदेशी जहाज बिना किसी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए गुजर सकते हैं, लेकिन ईरान मानता है कि वह अपने क्षेत्रीय जल में इस मार्ग को निलंबित कर सकता है।

वकील समेत 4 घरों में चोरी, कैश और लाखों के जेवर पार

दुर्ग, 15 अप्रैल (हाईवे चैनल)। जिले में कल रात यानि 14 अप्रैल को चोरी की 4 घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक ही दिन में चोरी के 4 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा दो मामले जामुल थाना क्षेत्र से सामने आए हैं, जबकि मोहन नगर और पद्मनाभपुर में एक-एक घटना हुई है। चोरों ने कहीं बंद घरों को निशाना बनाया तो कहीं निर्माण स्थल और सड़क किनारे खड़े वाहन को पार कर दिया। कहीं ताला तोड़कर तो कहीं दीवार तोड़कर चोरी की गई। वहीं, बंद घरों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश की जा रही है।

पहला मामला: जामुल थाना क्षेत्र में सेक्टर-07 भिलाई निवासी प्रेम प्रकाश यादव (61) ने शिकायत दर्ज कराई है कि, वे जिला न्यायालय दुर्ग में वकील हैं। कैलाश नगर एकता चौक के पास उनका नया मकान बन रहा है, जहां एक स्टोर रूम में निर्माण का सामान रखा था। 12 अप्रैल की शाम काम खत्म होने के बाद स्टोर रूम में ताला लगाकर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब वे पहुंचे तो ताला टूटा मिला और दीवार भी तोड़ी गई थी। अंदर रखा पानी का मोटर, केबल, लोहे काटने की मशीन और अन्य सामान गायब थे। जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपए बताई गई है।

दूसरा मामला: जामुल थाना क्षेत्र के आम्रपाली फेस-2 हाउसिंग बोर्ड निवासी सिम्मु श्याम लाल अहिरवार ने बताया कि, 13 अप्रैल की शाम वे परिवार के साथ शादी में गए थे। रात करीब ढाई बजे लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। पूजा स्थल से सोने की चैन, बैग में रखे करीब 5500 रुपए कैश और एलसीडी टीवी चोरी हो चुका था। जिसकी कुल कीमत करीब 55 हजार रुपए बताई गई है। उसी रात पास के दो और घरों में भी चोरी हुई थी।

तीसरी घटना: मोहन नगर थाना क्षेत्र के दीपक नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली ज्योति आडिल ने अपनी एक्टिवा स्कूटी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल की सुबह वे रोज की तरह अपनी स्कूटी से पार्लर पहुंचीं और बाहर खड़ी कर दी। शाम करीब 5 बजे जब बाहर आईं तो स्कूटी गायब थी। आसपास काफी तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। चोरी गई स्कूटी की कीमत करीब 26 हजार रुपए बताई गई है। चौथी घटना- पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा में एक बंद मकान को निशाना बनाया गया। यहां रहने वाले कांशीराम देवांगन अपनी पत्नी के साथ 12 मार्च को पुणे गए हुए थे। 11 अप्रैल को घर में काम करने वाली महिला जब पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है।

CMYK